

प्रशासन नौकरों के संग अभियान 2021

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उप खण्ड अधिकारी चूरु
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) बलरास/भ्रायुण

पीठासीन अधिकारी :- श्री राहुल सैनी R.A.S.

उनवान

भोमाराम

बनाम

राज. सरकार

दावा बाबत नाम डुरुस्ती प/स 88.R.A.S.

मुकदमा नम्बर :- 148/2021

निर्णय दिनांक :- 03-12-2021

वादी की ओर से स्वयं की व प्रतिवादी की ओर से पेंडोराराज की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 03-12-2021 को श्री राहुल सैनी R.A.S. (नाम पीठासीन अधिकारी), उपखण्ड अधिकारी, चूरु के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि दावा वादी

स्वीकार किया जाकर खाता संख्या 125 ग्राम महाराजपुर में मोहम्मद युज फूलाराम के स्थान पर भोमाराम पुत्र फूलाराम दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। भविष्य में अतः नाम डुरुस्ती के सम्बन्ध में विवाद की समस्त जिम्मेदारी वादी ही रहेगी। तहसीलदार, चूरु उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल करामद करें।

उद्योग पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 03-12-2021 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर

दी गई।



03/12/21
(राहुल सैनी)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी

वाद के खर्चे

चूरु

वादी	प्रतिवादी
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	अर्जी के लिए स्टाम्प
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प	प्लीडर की फीस
4. रूपये पर प्लीडर की फीस	साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय
5. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	आदेशिका की तागील
6. कमिश्नर की फीस	कमिश्नर की फीस
7. आदेशिका की तागील	
जोड़	जोड़



Handwritten signature